भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1065
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

मुकदमों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा वित्तपोषण

1065. श्री मोहम्मद नदीमुल हक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मुकदमों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा वित्तपोषण (टीपीएफ) की सुविधा के लिए विधिक एवं विनियामक ढांचे की स्थापना पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने टीपीएफ की क्षमता की जांच मुकदमा करने में लगने वाली उच्च लागत और लंबित मामलों की समस्या के समाधान के रूप में की है, और यदि हां, तो ऐसे आकलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : वर्तमान में, देश में मुकदमेबाजी के तृतीय पक्षकार वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए किसी विधिक और विनियामक कार्य ढांचे की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं और इसके अतिरिक्त, मुकद्दमा करने में लगने वाली उच्च लागत तथा लंबित मामलों की संख्या की समस्या का समाधान करने के लिए उपायों के रुप में मुकदमेबाजी के तृतीय पक्षकार के वित्तपोषण की क्षमता की कोई जांच सरकार द्वारा नहीं की गई है ।

****